आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

24/3/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-481/2012-13

सहदेव मुण्डा,.....आवेदक

बनाम्

(1) महानन्द महतो,
(2) मृत्यून महतो,
(3) छात्रधारी महतो
(4) आनन्द महतो .....विपक्षीगण

आदेश

आवेदक सहदेव मुण्डा, पिता–स्व० लोधा मुण्डा, निवास ग्राम–सुकुरहुटू, थाना–काँके, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन विपक्षीगण (1) महानन्द महतो (2) मृत्यून, महतो, (3) छात्रधारी महतो, तीनों के पिता–स्व० पुरन महतो (3) आनन्द महतो, पिता–सबुर महतो सभी निवासी ग्राम–सुकुरहुटू, थाना–काँके, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
सुकुरहुटू	154	451	4706	22 डी०
			4707	24 डी०
			4708	29 डी०
			4709	30 डी०
कुल रकबा–				**1.05 एकड़**

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि भूमि अनुसूचित जनजाति की है। खतियान में होड़ा मुण्डा वल्द रथु मुण्डा, वो हुलाश मुण्डा, वीलास मुण्डा, पेशरान शुखु मुण्डा वो शीबु मुण्डा वल्द वीगल मुण्डा का

24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25

नाम कायमी दर्ज है। खतियान के कॉलम–17 में फुचई महतो, वो बालगोविन्द महतो वल्द बोधा महतो निकसारी माल 0–4–0 चार आना राम महेश साहु नाम दर्ज है।

आवेदक ने अपने शपथ पत्र के वंशावली में उल्लेख किया है कि खतियानी रैयत हुलाश मुण्डा अपने पीछे लोधा मुण्डा, महन्गु मुण्डा, जगरनाथ मुण्डा, एवं बन्धन मुण्डा को छोड़ गये। लोधा मुण्डा अपने पीछे सहदेव मुण्डा (आवेदक) को छोड़ गये, जो खतियानी रैयत के वंशज है। इसी आधार पर अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, काँके द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जिसका पत्रांक सं०–1015(ii) दिनांक–20.08.2016 में कहते हैं कि विपक्षी महानन्द महतो, मृत्यून महतो, छात्रधारी महतो, तीनों के पिता–स्व० पुरन महतो वो एवं आनन्द महतो का दखल–कब्जा 50 वर्षो से है, तथा 50 वर्षों से वर्णित भूमि पर मकान भी बना हुआ है। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, वंशावली तथा शपथ पत्र की मूल प्रति दाखिल की गयी है।

आवेदक की ओर से गवाह सं०–01 रामवृत लोहरा, पिता–स्व० रामेश्वर लोहरा अपने प्रतिपरीक्षण में कहतें है कि वर्णित भूमि पर पक्का मकान बना हुआ है। गवाह सं०–02 अभिजीत मुण्डा, पिता–विशुन मुण्डा कहते हैं कि वर्णित भूमि जमीन वापसी के लिए केस किया गया है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि वर्तमान में आनन्द महतो का दखल है तथा घर बना हुआ है। गवाह सं०–04 नीलकंठ मुण्डा, पिता–रामकिशन मुण्डा कहते हैं कि यह वाद भू–वापसी के लिए किया गया है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहतें हैं कि विवादित भूमि पर घर बना हुआ है।

विपक्षीगण सं०–01, 02, 03 एवं 04 की ओर से कारणपृच्छा दाखिल की गई, इसमें कहते हैं कि यह वाद कालबाधित है, तथा पोषणीय भी नहीं है। इन्होंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का कोई उल्लघंन नहीं किया है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। वर्णित भूमि पर विपक्षी का पक्का मकान 1946 ई० से बना हुआ तथा वकास्त भूमि कृषि योग्य नहीं है। खतियान में होड़ा मुण्डा वल्द रथु

24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25

मुण्डा, वो हुलाश मुण्डा, वीलास मुण्डा, पेशरान शुखु मुण्डा वो शीबु मुण्डा वल्द वीगल मुण्डा का नाम कायमी दर्ज है। खतियान के रिमार्क कॉलम–17 में रामेश्वर साहू, वगै० का नाम दर्ज है। शिबु मुण्डा, बहादुर मुण्डा, सबुर मुण्डा, पिता–होड़ा मुण्डा, हुलाश मुण्डा, विलास मुण्डा वर्णित भूमि वथन महतो को 1945 ई० में मौखिक बन्दोबस्त कर कच्चा खपड़ा–पोश मकान बना दिए थे। आगे कहते हैं कि बन्डा परचा पुरन महतो के नाम पर है, सभी तरह के जाँच–पड़ताल के पश्चात् सही पाया गया और बन्डा परचा बना है। पुरन महतो अपने जीवित रहते शांतिपूर्वक घर–मकान बनाकर रहने लगें। इनकी मृत्य के बाद विपक्षीगण भी घर–मकान बनाकर रह रहें है, जिसपर लगभग 50,00,000/– (पचास लाख रूपया) खर्च हुआ है। वर्णित भूमि पर आवेदक का 1945 से दखल–कब्जा नहीं हैं तथा यह भूमि कृषि योग्य भी नहीं रहा। इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है तथा कालबाधित भी है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। अतः इस वाद को खारिज किया जाए।

विपक्षीगण की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत की गई गवाह सं०–01 हरी मोहन महतो, पिता–खोयन महतो अपने शपथ में कहते हैं कि 1946 से दखलकार हूँ। अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि 1946 ई० से घर–मकान बनाकर विपक्षी रह रहें है। गवाह सं०–02 चन्द्रकांत महतो, पिता–स्व० बरतु महतो अपने शपथ पत्र में कहते है कि 1946 से मकान बनाकर रह रहें हैं। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि विपक्षी घर परिवार के साथ घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। गवाह सं०–03 लखन लाल महतो, पिता–जलेश्वर महतो अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं, कि घर–मकान बना है, विपक्षीगण की ओर से बन्डा परचा की छायाप्रति, बिजली बिल की छायाप्रति, जमींदार मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल की है। इसलिए यह वाद कालबाधित है, तथा चलने योग्य नहीं है, इस वाद को खारिज किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया। लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहतें है कि भू–वापसी के लिए यह वाद लाया गया है। दोनों पक्षों की ओर से गवाह उपस्थित हुए इसमें विपक्षी की ओर से तीनों गवाह स्व–जाति के हैं, तथा सभी आपस में रिश्तेदार हैं। गवाह सं०–01

24/3/25

24/3/25

एवं 02 के पारा सं०–03 में कहते हैं कि तकरारी जमीन का खाता सं०–451, प्लॉट सं०–4708, मौजा–सुकुरहुटू रकबा–29 डिसमिल ही विवादित जमीन है, तथा सभी गवाहों का शपथ पत्र में ग़वाही लगभग समान है। इनके द्वारा रजिस्ट्री पट्टा एवं लगान रसीद भी दाखिल नहीं है। आगे कहतें हैं विपक्षी अपनी खतियानी जमीन को बेचकर 2007–08 में वर्णित भूमि पर घर–मकान बनाये हैं, इससे स्पष्ट होता है अपनी भूमि बेचकर तकरारी जमीन क्यों खरीदें हैं। आवेदक की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किये, तीनों गवाह कहते हैं कि 14–15 वर्षो से घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। आवेदक का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत भूमि आवदेक को वापस होनी चाहिए। विपक्षीगण द्वारा बिना उपायुक्त, राँची के परमिशन के जमीन हड़प लिए हैं। इसलिए 105 डिसमिल भूमि वापस होना चाहिए।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहतें है कि वर्णित भूमि कालबाधित एवं पोषणीय नहीं है। यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाए। आगे कहते हैं कि आर०एस० खतियान की कॉलम–17 में बकब्जे ध्रुव महतो वो बालगोविन्द महतो वल्द बोधा महतो का नाम दर्ज है, जो विपक्षीगण के पूर्वज हैं तथा 1935 से दखलकार साबित करता है। वर्णित भूमि 1946 ई० से कृषि योग्य नहीं है तथा इसपर घर–मकान बना हुआ है। खतियान में रैयत का नाम होड़ा मुण्डा नाम दर्ज है, किन्तु खतियान के रिमार्क कॉलम–17 में बकब्जे रामेश्वर साहु का नाम भी वर्ष 1935 से दर्ज है। हाल सर्वे का बन्डापरचा सबुर महतो, पिता–जब्बु महतो के नाम पर बना है, जो विपक्षीगण आनन्द महतो के पिता है बन्डापरचा के समय बुझारत भी हुआ था, इसमें आवेदक द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया था। आगे कहते हैं कि आनन्द महतो के आर०एस० खाता–451, प्लॉट–4708 रकवा–29 डिसमिल के पिता छत्रधारी महतो के कब्जे में है तथा प्लॉट–4707 रकवा–13 डिसमिल, प्लॉट–4706 रकवा–12 डिसमिल पर चारदीवारी किया हुआ है तथा चारदीवारी के साथ घर–मकान 1946 से बना हुआ है। 1946 ई० में बहादुर मुण्डा, सहादुर मुण्डा दोनों के पिता–हड़वा मुण्डा द्वारा सबुर महतो

24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25

पिता–झबलु महतो से पैसा लेकर जमीन को हुकूमनामा से उनके नाम कर दिया। उनके मृत्यु के बाद सबुर महतो वर्णित भूमि पर दखलकार रहे। इनकी मृत्यु के बाद विपक्षीगण वर्णित भूमि पर पक्का मकान बनाकर निवास कर रहें हैं तथा बिजली बिल का भुगतान कर रहें हैं। इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा इसे खारिज किया जाए। यह मामला स्वत्व का है, अतः इसे सक्षम न्यायालय में सुना जाना चाहिए, यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, एवं पोषणीय भी नहीं है, इसे खारिज किया जाए। विपक्षीगण की ओर से विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का आदेश दिया गया है। जो इस प्रकार है:–

(a) 2001 (1) JCR 229 (SC): (2000)5 SCC 141 " Jai Mangal Oraon Vs. Smt. Mira Nayak and others (Hon'ble Supreme Court);" " on the point of Limitations."

(b) 2004 Volume 4, JCR (Hon'ble Supreme Court); " Situ Sahu and others Vs. State of Jharkhand (Supreme court) " on the Point of limitation".

(c) "Shyama Kant Lal Vs. State of Jharkhand (High court of Jharkhand) " On the point of Limitation**".**

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने, दाखिल कागजातों के अवलोकन, अंचल अधिकारी कें जाँच प्रतिवेदन, खतियान के बकब्जे कॉलम 17 में रघु महतो वल्द भुचई महतो वो बालगोविन्द महतो वल्द बोधा महतो का नाम दर्ज है, जो विपक्षी के वंशज है, एवं दखल–कब्जा को देखने से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह वाद स्वत्व का है, इसलिए दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

24/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

24/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.09 18:09:38 +05:30
Location: 192.168.178.39